

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

निग-1481-PB-16

106

प्र. क्रं. निगरानी 2016

1. श्रीमती कीर्ति लड्डा पति सुशील कुमार लड्डा आयु 35वर्ष निवासी सराफा बाजार सुसनेर जिला आगर मालवा संभाग उज्जैन म.प्र.
2. सुशील कुमार पिता वल्लभदास लड्डा आयु 46वर्ष निवासी सराफा बाजार सुसनेर जिला आगर मालवा संभाग उज्जैन म.प्र.

.....याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सुसनेर जिला आगर मालवा संभाग उज्जैन म.प्र.
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय सुसनेर जिला आगर मालवा संभाग उज्जैन म.प्र.
3. देवीलाल पिता नारायण दांगी आयु 65वर्ष निवासी सुसनेर जिला आगर मालवा संभाग उज्जैन म.प्र.
4. अब्दुल हलिम पितः अब्दुल हमिद खां आयु 60वर्ष निवासी सुसनेर जिला आगर मालवा संभाग उज्जैन म.प्र.

.....अनावेदकगण

कीर्ति लड्डा
सुसनेर जिला
आगर मालवा संभाग
उज्जैन म.प्र.
13/5/16

Quora

Belapurkar
13/5/16

धारा - 8

निगरानी धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत विच्छेद एकाधिकार एवं प्रकरण के रीडर 1/2016/1239 में कृति लड्डा पति सुशील कुमार लड्डा द्वारा निदेश दिनांक 18.04.2016 के निर्णय के विरुद्ध

Kirti Ladda

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1481-पीबीआर/16

जिला - उज्जैन

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 10/1/19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |